

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप- 3)

क्रमांक प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004(1)/

जयपुर, दिनांक 21.9.2010

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 एवं 15.02.2007 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार व ई-गवर्नेंस क्षेत्र के लिये गठित राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) के निम्नानुसार पुर्नगठन की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, योजना	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
6.	संबंधित विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल आदि के प्रमुख शासन सचिव / सचिव	सदस्य
7.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनीत प्रमुख तकनीकी संस्थाओं, तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT, BITS, Pilani, LNMITE etc.)	विशेष आमंत्रित
8.	महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य
9.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव

पूर्व में जारी आदेश में धर्जित कार्यों के अतिरिक्त राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगी:-

1. मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का मूल्यांकन
 2. सूचना प्रौद्योगिकी नीति का क्रियान्वयन एवं पुर्नरीक्षण
 3. केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना
 4. विभाग / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का पुर्नरीक्षण
 5. नागरिक केन्द्रित परियोजनाओं का प्रारूप निर्धारण
 6. सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचे का विस्तार एवं विकास
 7. सूचना प्रौद्योगिकी की लाभदायक परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण
- राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव

21.9.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संगीय आयुक्त
8. महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), नई दिल्ली
9. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
11. समस्त उपक्रमों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/मंडल आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
12. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
13. राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति के समस्त सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
14. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
15. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय- I, II, III एवं IV)
16. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियों संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
17. रक्षित पत्रावली


अनुभागाधिकारी